

# भारत की विचाराधीन ज़मानत प्रणाली में सुधार

## प्रलिमि्स के लिये:

भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ज़मानत, ज़मानत के प्रकार

## मेन्स के लिये:

आपराधिक न्याय प्रक्रिया, न्यायपालिका, संवैधानिक संरक्षण, ज़मानत के प्रकार, विचाराधीन कैदी की कैद में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा

स्रोत: द हिंदू

# चर्चा में क्यों?

सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जाँच ब्यूरो, 2022 के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति, भारत की ज़मानत प्रणाली की अक्षमता और विचाराधीन कैदियों के संकट को बढ़ाने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डालती है।

 यह मान्यता आपराधिक न्याय प्रणाली के भीतर प्रणालीगत चुनौतियों का समाधान करने के लिये ज़मानत कानूनों में सुधार की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है।

# भारत की ज़मानत प्रणाली के संबंध में क्या चिताएँ हैं?

- उच्च विचाराधीन कैदी जनसंख्या:
  - भारत की जेलों में बंद 75% से अधिक आबादी विचाराधीन कैदियों की है, जो ज़मानत प्रणाली के साथ एक महत्त्वपूर्ण समस्या का संकेत
     देती है।
    - विचाराधीन कैदी वह होता है जिस पर किसी अपराध का आरोप है लेकिन उसे दोषी नहीं ठहराया गया है। उन्हें न्यायिक हिरासत में रखा गया है, जबकि उनके मामले की सुनवाई अदालत में चल रही है।
  - ॰ **भारतीय जेलों में भीड़भाड़ की दर 118% है**, जो आप<mark>राधिक</mark> न्याय प्रणाली के भीतर प्रणालीगत मुद्दों को दर्शाती है।
- ज़मानत पर निर्णय:
  - ॰ प्रत्येक मामले की विशिष्टिताओं पर विचा<mark>र करते हुए, ज़</mark>मानत का निर्णय काफी हद तक अदालत के विवेक पर निर्भर करता है।
  - ॰ सर्वोच्च न्यायालय इस विविकाधिकार <mark>के लिये</mark> दशा-निर्देश प्रदान करता है, **जिसमें ज़मानत देने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया** है, लेकिन अपराध की गंभीरता <mark>और फरार हो</mark>ने की संभावना जैसे कारकों के आधार पर इनकार की भी अनुमति दी गई है।
    - ज़मानत रहिाई का समर्थन करने वाले दिशा-निर्देशों के बावजूद, अदालतें अक्सर ज़मानत देने से इनकार करने या कड़ी शर्तें लगाने की ओर झकती हैं।
    - अ<mark>दालतें अक्</mark>सर **ज़मानत से इनकार करने का कारण नहीं बताती हैं,** जिससे निरणयों के पीछे का तरक असपषट हो जाता है।
  - ॰ **हाशिए पर रहने वाले व्यक्त**िइन व्यापक अपवादों से असमान रूप से प्रभावित होते हैं, उन्हें या तो ज़मानत से इनकार या कड़ी शर्तों का सामना करना पड़ता है।
- ज़मानत अनुपालन में चुनौतियाँ:
  - ॰ जुमानत शर्तों को पुरा करने में कठिनाइयों के कारण कई विचाराधीन कैदी ज़मानत मलिने के बाद भी जेल में रहते हैं।
    - धन या संपत्ति की व्यवस्था करने और स्थानीय ज़मानतदारों को खोजने के लिये संसाधनों की कमी अनुपालन में बड़ी बाधाएँ हैं।
    - अन्य कारक जैसे निवास और पहचान प्रमाण की कमी, परिवार द्वारा त्याग दिया जाना, तथा न्यायालय प्रणाली को नेविगेट करने में संघर्ष करना भी अनुपालन में बाधा डालता है।
  - ॰ ज़मानत शर्तों को पूरा करने और न्यायालय में उपस्थिति सुनश्चिति करने में विचाराधीन कैदियों का समर्थन करना महत्त्वपूर्ण है, विशेषकर उन लोगों के लिये जो संरचनात्मक नुकसान का सामना कर रहे हैं।
  - ॰ मौजूदा ज़मानत कानून इन चुनौतियों का पर्याप्त रूप से समाधान करने में विफल हैं।
  - ॰ यरवदा और नागपुर में फेयर ट्रायल प्रोग्राम (FTP) के डेटा से पता चलता है कि मौजूदा ज़मानत कानून इन चुनौतियों का पर्यापत रूप से

समाधान करने में विफल हैं।

- 14% मामलों में, विचाराधीन कैदी ज़मानत की शर्तों का पालन नहीं कर सके, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें लगातार कारावास में रहना पडा।
- लगभग 35% मामलों में, विचाराधीन कैदियों को ज़मानत की शर्तों को पूरा करने और सुरक्षित रिहाई के लिये ज़मानत दिये जाने के बाद एक महीने से अधिक समय लग गया।

#### सुरक्षा उपायों का अभाव:

- सर्वोच्च न्यायालय ज़मानत मांगने की आवश्यकता को कम करने के लिये मनमानी गरिफ्तारी के खिलाफ सुरक्षा उपायों के महत्त्व पर ज़ोर देता है।
  - मनमाने ढंग से गरिफ्तारी और हरिासत किसी अपराध के सबूत या उचित उचित प्रक्रिया के बिना किसी व्यक्ति की गरिफ्तारी या हरिासत है।
- ॰ हालाँकि ये सुरक्षा उपाय पुरायः वंचित पुष्ठभूमि के कई व्यक्तियों को बाहर कर देते हैं, जो अधिकांश विचाराधीन कैदी हैं।
- FTP का डेटा इस मुद्दे पर प्रकाश डालता है: FTP द्वारा प्रतिनिधित्व किये गए विचाराधीन कैदियों (2,313) में से 18.50% प्रवासी थे, 93.48% के पास कोई संपत्ति नहीं थी, 62-22% का परिवार के साथ कोई संपर्क नहीं था और 10% का पिछले कारावास का इतिहास था।
  - यह डेटा इंगति करता है कि एक महत्त्वपूर्ण हिस्से को अनुचित रूप से गरिफ्तारी सुरक्षा से बाहर रखा गया है, जो जेलों में विचाराधीन कैदियों की उच्च संख्या में योगदान का कारण है।

#### त्रुटिपूर्ण धारणाएँ:

- ज़मानत की वर्तमान प्रणाली का तात्पर्य यह है कि गिरिफ्तार किये गए प्रत्येक व्यक्ति के पास इसका भुगतान करने का साधन है या उसके मज़बुत सामाजिक संबंध हैं।
  - इसका मानना है कि अभियुक्त की न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिये वितृतीय जोखिम आवश्यक है।
- ॰ यह "जेल नहीं ज़मानत" के सिद्धांत का खंडन करता है, जिसका उद्देश्य मुकदमें की प्रतीक्षा कर रहे व्यक्तियों को रिहा करना है।
- ॰ इस प्रकार ज़मानत प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है, हालाँकि सुधार अनुभवजन्य साक्ष्य के माध्यम से समस्या को समझने पर आधारित होना चाहिये।

#### नोट:

- फेयर ट्रायल प्रोग्राम (FTP) **दल्ली में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय** पर आधार<mark>ति एक</mark> आप<mark>राधिक न्याय पह</mark>ल है। FTP का लक्ष्य विचाराधीन कैदियों के लिये **निष्पक्ष परीक्षण सुनश्चित करना** है।
  - FTP राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के साथ सहयोग करने हेतु वकीलों एवं सामाजिक कार्यकर्त्ताओं जैसे युवा पेशेवरों को प्रशिक्षणि एवं सलाह देता है।

# भारत में जमानत और संबंधित प्रावधान

"जमानत का मुद्दा स्वतंत्रता, न्याय, सार्वजनिक <mark>सुरक्षा और सार्वजनिक खजाने पर बोझ से संबंधित है, सभी इस</mark> बात पर ज़ोर देते हैं कि जमानत का एक विकसित न्यायशास्त्र सामाजिक रूप से संवेदनशील न्यायिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है।"

-न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर

गिरफ्तारी के लिये संवैधानिक प्रावधान - अनुच्छेद 22: यह अनुच्छेद गिरफ्तार या हिरासत में लिये गए व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है, हिरासत को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है:

- दंडात्मक हिरासत: न्यायालय में मुकदमे और दोषसिद्धि के पश्चात्
   किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किये गए अपराध हेतु दंडित करना।
- निवारक निरोध: न्यायालय द्वारा परीक्षण और दोषसिद्धि के बिना किसी व्यक्ति को हिरासत में लेना।
- आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973: जमानत को परिभाषित नहीं करता है, लेकिन जमानती और गैर-जमानती अपराधों को परिभाषित करता है:

अपराध का प्रकार	जमानती	गैर-जमानती
■ CrPC के तहत परिभाषित	अनुसूची १ में उल्लिखित अपराध, या किसी अन्य कानून द्वारा जमानतीय अपराध	जमानती के अतिरिक्त कोई भी अपराध
■ जमानत देने की शक्ति	अधिकार के रूप में जमानत	न्यायालय/पुलिस का विवेक तथ्यों पर आधारित हो

## जमानत बनाम पैरोल बनाम परिवीक्षा

जमानत	पैरोल	परिवीक्षा
<ul> <li>मुकदमे या अपील की प्रतीक्षा कर रहे प्रतिवादी की अस्थायी रिहाई, न्यायालय में उनकी उपस्थिति की सुनिश्चितता हेतु जमा राशि द्वारा सुरक्षा</li> </ul>	जब व्यक्ति को कारावास की सज़ा से कुछ समय की छूट प्रदान की जाती है, उदाहरण के लिये, कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु	किसी अपराधी की सज़ा का निलंबन, किसी अधिकारी की निगरानी में समुदाय में रहने की अनुमति प्रदान करना
■ न्यायाधीश द्वारा प्रदत्त	पैरोल बोर्ड द्वारा प्रदत्त	न्यायाधीश द्वारा प्रदत्त

## भारत में जमानत के प्रकार

नियमित जमानतः पुलिस हिरासत में गिरफ्तार व्यक्ति को रिहा करने का न्यायालय का आदेश

- अंतरिम जमानत: अग्रिम जमानत या नियमित जमानत के लिये आवेदन पर फैसला होने तक न्यायालय अस्थायी अनुतोष प्रदान करती है
- अग्रिम जमानत: गिरफ्तारी को रोकने के लिये अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है
- **डिफॉल्ट जमानत:** जब पुलिस निर्दिष्ट अवधि के भीतर जाँच पूरी करने में विफल रहती है
- **चिकित्सकीय जमानत:** केवल चिकित्सा के आधार पर

## जमानत रद्द करना - कुछ आधार पर

- यदि कोई व्यक्ति, आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होकर अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है
- **■** जाँच की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है
- साक्ष्यों से छेड़छाड़
- गवाहों को धमकाना, आदि



# पुलिस हरिासत एवं न्यायिक हरिासत

- पुलिस हिरासत का अर्थ है कि संज्ञेय अपराध के लिये FIR दर्ज होने के बाद साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ अथवा गवाहों को प्रभावित करने से रोकने के लिये पलिस दवारा आरोपी को लॉक-अप में रखा जाता है।
- न्यायिक हरि। सत का अर्थ है कि एक आरोपी संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है। यह गंभीर अपराधों के लिये है, जहाँ न्यायालय पुलिस हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद साक्ष्यों अथवा गवाहों के साथ छेड़छाड़ को रोकने के लिये आरोपी को हिरासत में ले सकती है।

स्थतियाँ	पुलसि हरिासत	न्यायकि हरिासत
हरिासत का स्थान	किसी पुलिस थाने के लॉक-अप में अथवा जाँच	मजिस्ट्रेट की अभरिक्षा में जेल
	एजेंसी के पास	
न्यायालय के समक्ष उपस्थति	24 घंटे के भीतर संबंधति मजिस्ट्रेट के समक्ष	जब तक न्यायालय से ज़मानत का आदेश नहीं
		प्राप्त हो जाता

		सरकारी वकील द्वारा न्यायालय को संतुष्ट करने के बाद कि जाँच के लिये आरोपी की हरिासत
	समय	आवश्यक है
अधकितम अवधि	24 घंटे (उपयुक्त मजिस्ट्रेट द्वारा 15 दिनों तक	आजीवन कारावास, मृत्यु दंड अथवा न्यूनतम दस
	वसि्तारति काँया जा सकता है)	वर्ष की कैद से दंडनीय अपराधों के लिये 90 दिन;
		अनय अपराधों के लिये 60 दिन

### आगे की राह

- ज़मानत के संबंध में **सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किये बिना सभी** व्यक्तियों के लिये निष्पक्ष और न्यायसंगत विधि सुनिश्चिति करना । विचाराधीन कैदयों की आबादी में प्रमुख योगदान देने वाले प्रणालीगत मुद्दों के समाधान के लिये संशोधनों पर विचार करना ।
- सर्वोच्च न्यायालय यूनाइटेड कगिडम के ज़मानत अधिनियम के समान विशेष ज़मानत कानून बनाने की सिफारिश करता है।
  - ॰ यह कानून ज़मानत का सामान्य अधिकार स्थापति करेगा और ज़मानत नरि्णयों के लिये स्पष्ट मानदंड परिभाषित करेगा। इसका उद्देश्य मौद्रकि बंधपत्र और ज़मानत पर निर्भरता कम करना है।
- विचाराधीन कैदियों को ज़मानत अनुपालन और न्यायालय में पेशी के लिये विधिक सहायता प्रदान की जानी चाहिये।
- मनमाना रूप से हुई गरिफ्तारी के वरिद्ध कार्यान्वित सुरक्षा उपाय सभी व्यक्तियों, विशेषकर वंचित पृष्ठभूमि के लोगों के लिये **समावेशी** और सुलभ होने
- कानूनी सहायता, वित्तीय सहायता और सामाजिक सहायता सेवाओं तक पहुँच सहित ज़मानत शर्तों को पूरा करने में**विचाराधीन कैदयों की सहायता** के लिये सहायता कार्यक्रम का प्रावधान करना।
- ज़मानत संबंधी सुधार के लिये समग्र दृष्टिकोण विकसित करने के लिये सरकारी अभिकरणों, कानूनी संस्थाओं, नागरिक समाज संगठनों और सामुदायिक समूहों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।
- ज़र्मानत सुधार पहलों की प्रभावशीलता का आकलन करने और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिये अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन हेतु तंत्र सथापति करना। The Vision

कानूनी अंतर्दृष्टः सतेंद्र कुमार अंतलि मामला

https://www.drishtijudiciary.com/hin

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/reforming-india-s-undertrial-bail-system